क्रम-संख्या–4 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 जनवरी, 2024
पौष 28, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग–4

संख्या 1/2024/1451/23-4–2023-33 एन0जी0-2015
लखनऊ, 18 जनवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–6

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जाएगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियमों का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में उपनियम (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे :–

(ट) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ठ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत.– सेवा में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी : (एक) 51.67 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 40 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (याँत्रिक) में से उनके अपने–अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (तीन) 8.33 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (याँत्रिक) में से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या जो विद्युत अभियंत्रण शाखा या यांत्रिक अभियंत्रण शाखा में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के एसोसिएट मेम्बर्स हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथत दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि अपेक्षित अर्हता रखने वाले उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो रिक्तियां खण्ड (दो) में उल्लिखित स्रोतों से भरी जा सकती हैं।	**भर्ती का स्रोत.–** सेवा में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी : (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (याँत्रिक) में से, उनके अपने–अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 6 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	**आरक्षण–** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथा–संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 10 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :	**आयु–** सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 19 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	**परिवीक्षा–** (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु अद्यावधिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।	
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।	किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रकार का हकदार नहीं होगा।	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी संदर्भ में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई हैसियत से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वेतनमान–	**वेतनमान–**
(1) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।	(1) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसाकि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार दिए गये हैं :– सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिक) रु0 2200–75–2800–व0से0–100–4000 रुपये	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :– पदनाम: सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिक) वेतनमान: मैट्रिक्स लेवल–10 रु0 56100–177500

8–उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 24 निकाल दिया जायेगा। नियम 24 का निकाला जाना

आज्ञा से,
अजय चौहान,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2024/1451/XXIII-4–2023-33N.G.-2015, dated January 18, 2024 :

No. 1/2024/1451/XXIII-4–2023-33N.G.-2015

Dated Lucknow, January 18, 2024

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar pradesh Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Service Rules, 1993.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT ASSISTANT ENGINEERS (ELECTRICAL AND MECHANICAL BRANCH) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

1. (i) These rules may be called the Uttar Pradesh Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Machanical Branch) Service (Second Amendment) Rules, 2023. Short title and commencement

(ii) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Public Works Department Assistant Engineers (Electrical and Machanical) Service Rules, 1993 hereinafter referred as said rules in rule 3 *after* sub-rule (j) the following sub-rules shall be *inserted* :– Insertion of new rule

(k) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(l) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Act as amended from time to time.

3. In the said rules, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted* :– Substitution of rule 5

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Source of recruitment – Recruitment to a post in the Service shall be made from the following sources :–	**Source of recruitment –** Recruitment to a post in the Service shall be made from the following sources :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(i) 51.67 per cent by direct recruitment through the Commission.	(i) 50 per cent by direct recruitment through the Commission.
(ii) 40 per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) in the proportion of their respective cadre strength who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.	(ii) 50 per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) in the proportion of their respective cadre strength who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.
(iii) 8.33 per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Junior Engineers (Electrical) and Junior Engineers (Mechanical) who possess bachelor's degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering from a University established by law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto, or who are Associate Member of the Institution of Engineers (India) in Electrical Engineering Branch or Mechanical Engineering Baranch and who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment :	
Provided that if suitable or eligible persons are not available for promotion under this clause the Vacancies may be filled from the source mentioned in Clause (ii).	

Substitution of rule 6

4. In the said rules, *for* existing rule 6 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Reservation– Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.	**Reservation–** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories, shall be in accordance with the Act, and the Uttar Prdesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Section Classes) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of recruitment.

5. In the said rules, *for* existing rule 10 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :– Substitution of rule 10

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Age– A candidate for direct rrecruitment to the post must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty two years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised :	**Age–** A candidate for direct rrecruitment to the post must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Triebs and such other categories as may be notified by the Govenment from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

6. In the said rules, *for* existing rule 19 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :– Substitution of rule 19

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Probation– (1) A person substantively appointed to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years.	**Probation–** (1) A person substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.
(2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.
Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances beyond two years.	

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at end of the period of probation or extended period of probatoin that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, it any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.	(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
(5) The appointing authiority may allow continuous service rendered in a post, included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	

Substitution of rule 22

7. In the said rules, *for* existing rule 22 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Scale of Pay– (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.	**Scale of Pay–** (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :– Assistant Engineer (Electrical/ Machanical) Rs. 2200-75-2800-E.B.-100-4000	(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :–

Name of Post	Scale of Pay
Assistant Engineer (Electrical/ Machanical)	Matrix Level-10 Rs. 56100-177500

Crossing of efficiency bar :–

Omittion of rule 24

8. In the said rules, existing rule 24 shall be *omitted*.

By order,

AJAY CHAUHAN,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1090 राजपत्र–2024–(3023)–599 प्रतियाँ (डी०टी०पी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० लोक निर्माण–2024–(3024)–1,000 प्रतियाँ (डी०टी०पी० / ऑफसेट)।